डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल–505/डब्ल्यू पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जून 1983—ज्येष्ठ 17, शके 1905

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 1983

क्र. एफ 52-49-82-सी-3-अड़तीस.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1983 (क्रमांक 23 सन् 1983) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा तारीख 7 जून 1983 को वह तारीख नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 1983

क्र. एफ. 52-49-82-सी-3-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 52-49-82-सी-3-अड़तीस, दिनांक 7 जून 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव.

Bhopal, the 7th June 1983

No. F. 52-49-82-C-3-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (No. 23 of 1983), the State Government hereby appoints the day of June 7, 1983 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
ASHOK VAJPAYI, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1983.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् १९८३.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९८३.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ५ का संशोधन.
४. धारा ११ का संशोधन.
५. धारा १३ का संशोधन.
६. धारा १४ का संशोधन.
७. नवीन धारा १५-क और १५-ख का अन्तःस्थापन.
८. धारा १६ का संशोधन.
९. धारा १८-क का संशोधन.
१०. धारा २० का संशोधन.
११. धारा २३ का संशोधन.
१२. धारा २५ का संशोधन.
१३. धारा ३० का संशोधन.
१४. धारा ३४ का संशोधन.
१५. धारा ३५ का संशोधन.
१६. धारा ४६ का संशोधन.
१७. धारा ५६ का संशोधन.
१८. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
१९. तृतीय अनुसूची का संशोधन.
२०. अस्थायी उपबन्ध.

ाक-व्यय की पूर्व-प्रदायगी के
बना डाक द्वारा भेजे जाने
े लिये अनुमत. अनुमति-पत्र
. भोपाल–505/डब्ल्यू.पी.

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122(एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 1983—चैत्र 16, शके 1905

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 1983

क्र. 7 7 50-विधान.--मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 (क्रमांक 16 सन् 1983), जो विधान सभा में दिनांक 6 अप्रैल 1983 को पुरःस्थापित हुआ था, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

पी. एम. पतकी,
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

धारा १३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायगा.".

धारा १४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(क) उपधारा (६) में, शब्द "कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया संकाय का संकायाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नामनिर्देशित किया गया कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव नियुक्त न किया गया हो या यदि कुलाधिसचिव उपलभ्य न हो, तो संकाय का संकायाध्यक्ष" स्थापित किये जायं; और

(ख) उपधारा (७) में शब्द "कुलसचिव" के स्थान पर शब्द "कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव नियुक्त न किया गया हो या यदि कुलाधिसचिव उपलभ्य न हो, तो कुलसचिव" स्थापित किये जायं.

नवीन धारा १५-क और १५-ख का अंतःस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १५-क को उसकी धारा १५-ग के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः क्रमांकित धारा १५-ग के पूर्व निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाय, अर्थात् :—

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

"१५-क. द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति को यथास्थिति विश्वविद्यालय की सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जायगा और वह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का या उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् ऐसे प्राधिकारियों के स्थान पर कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने में उसकी (कुलपति की) सहायता करने और उसे सलाह देने के लिये एक ऐसी समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाशास्त्री, एक प्रशासकीय विशेषज्ञ और एक वित्तीय विशेषज्ञ होंगे.

कुलाधिसचिव.

१५-ख. (१) कुलपति, कुलाधिपति और राज्य सरकार के [illegible] अनुमोदन से, एक कुलाधिसचिव की नियुक्ति कर सकेगा.

(२) कुलाधिसचिव विश्वविद्यालय का एक वैतनिक अधिकारी होगा.

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें [illegible]

(४) कुलाधिसचिव कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से, उसे सौंपी जायें और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जायें.".

धारा १६ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) में,—

[illegible]

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् १९८३.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९८३.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:——

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९८३ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के खण्ड (सत्रह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :— धारा ४ का संशोधन.

"(सत्रह) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है —

(एक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया, समझा गया तथा द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट किया गया विश्वविद्यालय; और

(दो) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किया जाने वाला तथा द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किया गया विश्वविद्यालय.".

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में,— धारा ५ का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में दो बार आने वाले शब्द "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये" के स्थान पर शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट किये गये" स्थापित किये जायं;

(ख) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाय, अर्थात :—

"(१-क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात स्थापित और द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और उस विश्वविद्यालय की सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो एतद्पश्चात उसके अधिकारी या सदस्य बनें, उस समय तक जब तक कि वे ऐसे पद पर या ऐसे सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है.".

४. मूल अधिनियम [illegible] अर्थात [illegible]

"(दो-क) कुलाधिसचिव;";

(ख) निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु द्वितीय अनुसूची के भाग—दो में विनिर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायगी और वह चार वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जायं.".

९. मूल अधिनियम की धारा १८—क में अंक तथा अक्षर "१५-क" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "१५-ग" [illegible]त किये जायं. धारा 18-क का संशोधन

१०. मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः[illegible]त किया जाय, अर्थात् :— धारा 20 का संशोधन.

"(दो—क) कुलाधिसचिव.".

११. मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः[illegible]पित किया जाय, अर्थात् :— धारा २३ का संशोधन.

"(एक-क) कुलाधिसचिव ;".

१२. मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित [illegible] जाय, अर्थात् :— धारा २५ का संशोधन.

"(एक-क) कुलाधिसचिव;".

१३. मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः[illegible]पित किया जाय, अर्थात् :— धारा ३० का संशोधन.

"(एक-क) कुलाधिसचिव;".

१४. मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः[illegible]थापित किया जाय, अर्थात :— धारा ३४ का संशोधन.

"(दो-क) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों का कुलाधिसचिव,".

१५. मूल अधिनियम की धारा ३५ के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय अर्थात :— धारा ३५ का संशोधन.

"[illegible] की [illegible] तथा [illegible] तथा उपलब्धियां और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;".

[illegible] के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः[illegible] धारा ४६ का संशोधन.

[illegible] ४६ की [illegible]

[illegible]स्थापित [illegible] —

[illegible]

[illegible] "१५-क" के स्थान पर धारा ५६ का संशोधन.

[illegible]

[illegible] का संशोधन.

[illegible] कालम (३)

[illegible] "बिलासपुर, [illegible] में शब्द "राजनांदगांव" के पश्चात् शब्द "बार" [illegible] किया जाय तथा शब्द [illegible] तथा सरगुजा" का लोप किया जाय.

(ग) मूल अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिये निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(एक) अस्थायी प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन करना और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए सामान्य या विशेष प्रकार के ऐसे अनुदेश जारी करना जैसे कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित किए जायं;

(दो) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्था करना जो कि मूल अधिनियम को या उसके किसी भाग को प्रवर्तन में लाने के लिए आवश्यक हो;

(तीन) कुलाधिपति की मंजूरी से ऐसी नियुक्ति करना जो कि मूल अधिनियम को या उसके किसी भाग को प्रवर्तन में लाने के लिए आवश्यक हो;

(चार) कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, अपने उन कृत्यों का, जिनके बारे में वह निदेश दे, निर्वहन करने के लिए ऐसी समिति नियुक्त करना जैसी कि वह उचित समझे; और

(पांच) मूल अधिनियम द्वारा कार्य परिषद् को प्रदत्त शक्तियों में से समस्त या किन्हीं शक्तियों का सामान्यतः प्रयोग करना;

(घ) खण्ड (ग) की मद (एक), (तीन) तथा (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कुलपति द्वारा पारित कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् प्रभावहीन हो जायगा.

(ङ) (एक) मूल अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, वे परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम जो प्रवृत्त हों और जो रविशंकर विश्वविद्यालय को लागू होते हों, यथावश्यक परिवर्तन सहित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का कुलपति, खण्ड (एक) में निर्दिष्ट परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई ऐसे परिवर्तन करने के प्रयोजन से, जैसे कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा यह उपबन्ध कर सकेगा कि उपरोक्त परिनियम, अध्यादेश या विनियम ऐसे उपान्तरणों या अनुकूलीकरणों के, चाहे वे परिवर्धन, लोप या परिवर्तन द्वारा किए जायं, अध्यधीन रहते हुए और ऐसी तारीख से जैसी कि उक्त कुलपति उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस खण्ड में की कोई भी बात, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् [illegible] उपान्तरण करने या अनुकूलीकरण करने के लिए कुलपति को सशक्त नहीं करेगी.".

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

[illegible] विगत कुछ समय से बिलासपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये अनवरत मांग की जा रही है. बिलासपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था.

२. [illegible] अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य निवास करते हैं. और राज्य सरकार [illegible] आवश्यक समझती [illegible] कि बिलासपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ताकि अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों [illegible] शैक्षिक हितों में अभिवृद्धि हो सके. इससे उनके शैक्षिक स्तर में सुधार होने के अलावा, उनमें सामाजिक [illegible] इस क्षेत्र के बहुसंख्यक निवासियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन से उत्पन्न होने वाली बुराइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला [illegible] यह भी प्रस्तावित है कि इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु घासीदास जो इस क्षेत्र के सम्मानित संत हैं, के नाम पर [illegible]

३. [illegible] विश्वविद्यालय के [illegible] विश्वविद्यालय के दक्ष प्रशासन को सुकर बनाने के लिये [illegible]

४. तदनुसार यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

मोतीलाल वोरा

भोपाल :

[illegible] २४ मार्च, १९८[illegible]

भार साधक सदस्य

(ख) इस प्रकार पुनः क्रमांकित भाग-एक के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"भाग—दो

[धारा ४ (१७) देखिये]

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक अधिकारिता
(१)	(२)	(३)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ..	बिलासपुर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.".

तृतीय अनुसूची का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में,—

(१) पैरा २ में,—

(क) प्रतिस्थापित धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(दो—क) कुलाधिसचिव;";

(ख) प्रतिस्थापित धारा २३ की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(एक—क) कुलाधिसचिव;";

(२) पैरा ४ में, प्रतिस्थापित धारा २५ की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(एक—क) कुलाधिसचिव;".

अस्थायी उपबन्ध.

२०. इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर के ऐसे समस्त महाविद्यालयों के संबंध में जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व रविशंकर विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गये थे, यह समझा जायगा कि उन्हें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गये हैं;

(ख) मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी,—

— [illegible] घासीदास विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर स्थित तथा रविशंकर विश्व- [illegible] किसी महाविद्यालय के किसी विद्यार्थी को; या

[illegible] अन्य विद्यार्थी को,

[illegible] जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पूर्व रविशंकर विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिये यथास्थिति अध्ययन कर रहा था या उस परीक्षा के लिये पात्र था, इस बात की अनुज्ञा दी जायेगी कि वह उस परीक्षा की तैयारी करने के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करले और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों और [illegible] शिक्षण, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये [illegible] जाय, व्यवस्था करेगा;

[illegible] परिनियमों [illegible]

वित्तीय ज्ञापन

विगत कुछ समय से बिलासपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये अनवरत मांग की जा रही है. बिलासपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था.

२. बिलासपुर संभाग में अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निवास करते हैं. और राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि बिलासपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के शैक्षिक हितों में अभिवृद्धि हो सके. इससे उनके शैक्षिक स्तर में सुधार होने के अलावा, उनमें सामाजिक चेतना भी जागृत होगी और उस क्षेत्र के बहुसंख्यक निवासियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन से उत्पन्न होने वाली बुराइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी.

३. उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विधेयक की धारा ३ द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई, १९८३ से बिलासपुर में की जा रही है. स्थापना के प्रथम वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष १९८३-८४ में संधारण अनुदान के रूप में रुपये पांच लाख एवं विकास अनुदान के रूप में रुपये दस लाख की इस विश्वविद्यालय को आवश्यकता होगी. वर्ष १९८३-८४ के आय-व्ययक में इस राशि का प्रावधान नहीं किया गया है. किन्तु आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रथम वर्ष का खर्च पूरा किया जाएगा.

४. इस विश्वविद्यालय के विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से भी अनुदान प्राप्त करने की तैयारियां आरम्भ कर दी गई हैं.

पी. एम. पतकी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.